कार्यालय वन मण्डल अधिकारी उत्तर सागर वन मंडल, जिला सागर (म.प्र.)

E-mail :- dfotnsagar@mp.gov.in: Phone & Fax No. :- 07582-236337

क्रमांक / मा.चि. / 2021 / 2444 सागर, दिनांक – 5-8-21

प्रति,

परियोजना प्रबंधक
बीना (पी.एम.यू.)
जल संसाधन विभाग, सागर

विषय :– जिला सागर के अंतर्गत बण्डा वृहद् सिचाई परियोजना के निर्माण हेतु 503.85 हेक्टेयर (505.50 हेक्टेयर के स्थान पर) वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–3 / 97 / 2018 / 10–11 / 12 / 2564 दिनांक 29.07.2021.

— 0 —

विषयांकित परियोजना में आवेदित वनभूमि रकवा 530.85 हेक्टेयर की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इंदिरा पर्यावरण भवन अलीगंज नई दिल्ली का पत्र क्रमांक / 8–04 / 2020–FC दिनांक [illegible].07.2021 से अधिरोपित शर्तों के अंतर्गत जारी की गयी है। स्वीकृति मे अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवदेन प्रस्तुत करने हेतु संदर्भित पत्र से निर्देश जारी है। निर्देशानुसार अधिरोपित शर्तों के पालन हेतु विवरण निम्नानुसार है :–

1) परियोजना में 530.85 हेक्टेयर वनक्षेत्र की NPV की राशि की गणना की गयी, गणना उपरांत कुल राशि में से बीना बहुउद्देशीय अंतर्गत रकवा 405.94 हे. की पूर्व में जमा की गयी NPV राशि को कम करते हुए शेष कुल राशि रूपये 40804534/– (चार करोड़ आठ लाख चार हजार पांच सौ चौंतीस रूपये मात्र) E-Protal के माध्यम से केम्पा में जमा की जावे।

2) स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन टेबुलर फार्म में तैयार कर आवश्यक वचन–पत्रों सहित E-Protal पर अपलोड करें। अपलोड किये गये पालन प्रतिवेदन की हार्ड कापी 03 प्रतियों में एवं राशि जमा होने का प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत किये जावें।

(वेणी प्रसाद दौतानिया)
भा.व.से.
वन मंडल अधिकारी
उत्तर सागर वन मंडल

पृ.क्रमांक / मा.चि. / 2021 / सागर, दिनांक –

प्रतिलिपि :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल को उनके संदर्भित पत्र के पालन में सूचनार्थ सम्प्रेषित। बीना परियोजना अंतर्गत वन मंडल उत्तर सागर में हस्तांतरित गैर वनभूमि रकवा 933.30 हेक्टेयर की KML File साफ्ट कापी में प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

2) मुख्य वन संरक्षक सागर वन वृत्त सागर को संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

3) वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर वन मंडल को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के संदर्भित पत्र के पालन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

–sd–
वन मंडल अधिकारी
उत्तर सागर वन मंडल

-30-

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

तकनीकी स्वीकृति आदेश

आदेश क्रं./एफ–3/97/2018/10–11/12/15 भोपाल, दिनांक 08-04-2021

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत दिनांक 08.03.2019 से प्रभावशील गाईड लाईन के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ–3/2019/10–11/03, दिनांक 31.05.2019 से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 07.04.2021 को आयोजित की गयी। परीक्षण उपरांत केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

वनमण्डल का नाम	योजना का नाम	उपचार हेतु रकबा (हे0 में)	राशि (रूपये मे)
उत्तर वनमंडल सागर	बंडा वृहद सिंचाई परियोजना (530.85 हेक्ट.)	वनभूमि–34174.08	12,46,95,335
		राजस्व भूमि–114898	10,40,66,611
		योग–	**22,87,61,946**

(राशि रूपये बाईस करोड सत्यासी लाख इक्सठ हजार नों सौ छियालीस)

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेंगी :–

1. वनभूमि रकबा 34174.08 हेक्टेयर में कार्य वन विभाग द्वारा कराया जावेगा।
2. राजस्व भूमि रकबा 114898 हेक्टेयर में कार्य आवेदक विभाग द्वारा कराया जावेगा।
3. प्रस्तुत केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान के प्रस्ताव पर सहमति दी जाती है। यदि प्रस्ताव मे कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएं।
4. वनमण्डलाधिकारी, उत्तर सागर इस स्वीकृति के अधीन केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावें। कैम्पा कक्ष द्वारा दिये आवंटन के अनुसार ही कार्य कराया जावें।
5. इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।
6. कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावें। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
7. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान अंतर्गत कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ही कार्य किया जावें।
8. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जावें।
9. कोई भी सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन करें।
10. कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रारंभ करावें।

07/04/2021

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रं./एफ–3/97/2018/10–11/12/1352 भोपाल, दिनांक 08-04-2021

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) सागर वृत्त सागर, मध्यप्रदेश।
5. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल उत्तर सागर, मध्यप्रदेश।
6. परियोजना प्रबंधक, बीना (पी.एम.यू.) जल संसाधन विभाग सागर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

07/04/2021

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3 (Part-II).docx